न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 98/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/98

रफीक मोहम्मद पिता अलाउदीन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–पटवारी, पटवार हल्का हिंगोरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 11.03.2022 न्यायालय तहसीलदार कपासन, प्रकरण संख्या 231/2022

उपस्थितिः–1– श्री हिम्मत सिंह जादव, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 30.09.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का हिंगोरिया के द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कांकरिया की आराजी नम्बर 710 पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 25.02.2022 को प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 11.03.2022 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 2.00 रू. का पचास गुणा 100 रूपये अर्थदण्ड

प्र. सं. 98/2022 (रा. अ.)
रफीक मोहम्मद पिता अलाउदीन मुसलमान निवासी कांकरिया तहसील कपासन बनाम पटवारी, पटवार हल्का हिंगोरिया, तहसील कपासन वगैरा

से दण्डित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के ग्राम कांकरिया की आराजी नम्बर 710 किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट का ग्रम कांकरिया की बिलानाम आराजी नम्बर 710 पर करीब 40 सालों से दादाजी के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है व विगत 40 सालों से निरन्तर जुर्माना राशि भी जमा कराई गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए विधि व सिद्धान्तों के विपरीत उक्त कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त काबिल है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को अंग मेहनत से लागत लगा समतल करा कृषि योग्य मिट्टी भरा करीब 40 सालों से उक्त भूमि पर कृषि कर रहा है, जिससे पहले अपीलांट के परिवारजन उक्त जमीन पर चुना भट्टा का उपयोग करते रहे हैं एवं उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है । उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट दिनांक 11.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उक्त दिनांक को ही जरिये अधिवक्ता अधिकार पत्र पेश कर साथ में अपीलांट को मिले नोटिस का जवाब दिया तथा दस्तावेज पेश किये जिसकी सत्यापित प्रति भी श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.03.2022 के फर्द अहकाम में अपीलांट को उपस्थित नहीं होना बताया है जबकि अपीलांट उपस्थित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश जवाब एवं दस्तवेजात को भी रेकार्ड पर नहीं लिया गया और अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए, अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का

समुचित अवसर प्रदान किये विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुए उक्त आदेश दिनांक 11.03.2022 पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 11.03.2022 की नकल लेने हेतु दिनांक 11.03.2022 को ही आवेदन पेश कर दिया, लेकिन न्यायालय प्रतिलिपि शाखा द्वारा आये दिन नकल तैयार नहीं होने का कहते हुए व उसके बाद प्रतिलिपि आवेदन ही कहीं गुम हो जाने का कथन करते हुए नया आवेदन पेश करने हेतु कहा गया जिस पर अपीलांट द्वारा नया आवेदन पेश किया जिस पर अपीलांट को नकलें उपलब्ध कराई गई तथा उस पर भी आवेदन पेश करने तथा प्रतिलिपि तैयार होने की दिनांक जानबुझ कर अंकित नहीं की तथा अपीलांट को नुकसान कारित करने की नियत से नकलें नहीं दी और विलम्ब किया जिससे उक्त आदेश दिनांक 11.03.2022 निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा बिना किसी विलम्ब के उक्त अपील तैयार करा पेश है फिर भी म्याद को लेकर कोई विवाद नहीं रहे इसलिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.03.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट को जमीन से बेदखल नहीं किया जाकर कब्जे के आधार पर एलोट किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

प्र. सं. 98/2022 (रा. अ.)
रफीक मोहम्मद पिता अलाउदीन मुसलमान निवासी कांकरिया तहसील कपासन बनाम पटवारी, पटवार हल्का हिंगोरिया, तहसील कपासन वगैरा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 25.02.2022 को अपीलांट को धारा 91 का नोटिस जारी कर वास्ते सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया है तथा आदेशिका दिनांक 11.03.2022 में अंकित किया है कि ''पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी हाजिर नहीं आवाज लगवायी गई। हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।''

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया आदेशिका दिनांक 11.03.2022 में सीधे ही अपीलांट के हाजिर नहीं होने का कथन अंकित किया है जबकि अपीलांट को विधिवत् सूचना पत्र तामील हुआ अथवा नहीं इसका कोई अंकन नहीं है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.03.2022 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार पत्र, जवाब तथा दस्तावेजात भी पेश किए हैं तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा जवाब को दिनांक 11.03.2022 में मार्क/हस्ताक्षर भी किया हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.03.2022 में अपीलांट की अनुपस्थिति दर्शाई गई है जो कि अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से पेश जवाब तथा दस्तावेजात को रेकार्ड पर नहीं लिया जाना तथा न ही उसे विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

प्र. सं. 98/2022 (रा. अ.)
रफीक मोहम्मद पिता अलाउदीन मुसलमान निवासी कांकरिया तहसील कपासन बनाम पटवारी, पटवार हल्का हिंगोरिया, तहसील कपासन वगैरा

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.03.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि–सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)